भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2978
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायालयों में महिला-अनुकूल अवसंरचना

2978 श्रीमती राजाथी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग बार कक्ष, शिशु देखरेख सुविधाएं एवं फीडिंग रूम (शिशु स्तनपान कक्ष) सहित महिला-अनुकूल अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय ने न्यायालयों में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में कोई आकलन किया है ; और

(ग) न्यायालयों में महिला-अनुकूल अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । तथापि, राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है । स्कीम के अधीन पांच घटक सम्मिलित हैं, जैसे न्यायालय हाल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, अधिवक्ताओं के लिए हाल, शौचालय परिसर और डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष।

विशिष्ट पहलू, जिनमें न्यायालयों में महिलाओं के लिए अनुकूल अवसंरचना सम्मिलित हैं, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । उच्च न्यायालय की भवन अवसंरचना समिति, न्यायालय हालों का डिजाइन और केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं को अनुमोदित करती है । तथापि, केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम दिशानिर्देश न्यायालय हालों के लिए मापदंड और विशिष्टताएं प्रदान करते हैं, जो उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति की सिफारिशों और विभिन्न राज्यों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों और पद्धतियों पर आधारित हैं ।

*****